इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 04.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अपहरण करने वाले 02 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा धारा 363,365 में 03 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा व 6,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अपहरण करने वाले 02 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा धारा 363, 365 में 03 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा व 6,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.04.2003 को वादी द्वारा थाना सिविल लाइन पर अभियुक्तगणों के खिलाफ अपने 04 वर्षी के पुत्र को जान से मारने की नियत से अपहरण कर लेने के संबंध में तहरीर दी तहरीर के आधार पर **थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 152/03 धारा 364,368 भादवि (तरमीम धारा 363, 365) पंजीकृत कराया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 एच एस अहिरवार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्तगण थान सिंह पुत्र जनवेद सिंह एवं इन्द्रेश पुत्र रामजीत निवासी थाना भरथना जनपद इटावा** के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 अमित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री तरूण कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 04.11.2023 को अपर जिला न्यायाधीश(FTC-I) कोर्ट जनपद इटावा द्वारा धारा 363,365 भादवि में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 6,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **थान सिंह पुत्र जनवेद सिंह निवासी हाजीपुरा थाना भरथना जनपद इटावा।**
2. **इन्द्रेश पुत्र रामजीत निवासी ग्राम कन्धेरी पचार थाना भरथना जनपद इटावा।**